

प्रश्न सं. [क. 3662]

विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक 12445/एनआरईजीएस-एमपी/एनआर-3/16 भोपाल, दिनांक 09/12/2016
प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, (मध्यप्रदेश)
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (मध्यप्रदेश)
3. कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (समस्त)


विषय :- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत "शांतिधाम" उपयोजना-मानक डिजाईन एवं प्राक्कलन।

सन्दर्भ:- शासन का पत्र क्रमांक 7315/एनआरईजीएस-एमपी/एनआर-3/17/10, दिनांक 15.07.2010

—0—


उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र द्वारा "शांतिधाम" उपयोजना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

2. शांतिधाम के लिए प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं ने दो मानक डिजाईन एवं मानक प्राक्कलन बनाकर तकनीकी स्वीकृति जारी की है जो इस पत्र के साथ संलग्न है। मानक डिजाईन का शांतिधाम बनाये जाने की दशा में पृथक से तकनीकी प्राक्कलन बनाने, तकनीकी स्वीकृति लेने अथवा लागत का प्राक्कलन बनाने की आवश्यकता नहीं है।
3. जिन ग्रामों की आबादी जनगणना-2011 के अनुसार 2000 अथवा उससे कम है उनमें शवदाह के लिए एक प्लेटफार्म तथा जिन ग्रामों की आबादी जनगणना-2011 में 2000 से अधिक है उनमें दो प्लेटफार्म वाला शांतिधाम बनाया जाए।
4. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा अनुमोदित मानक डिजाईन के शांतिधाम की मानक लागत निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-
 - (अ) एक शवदाह वाले शांतिधाम के लिए रू0 1,80,000/-
 - (ब) दो शवदाह वाले शांतिधाम के लिए रू0 2,45,000/-
5. संभव हो तो शांतिधाम में पानी की व्यवस्था की जाए। पानी की व्यवस्था हेतु हेंडपम्प एवं सतही टंकी बनाने की दशा में मानक लागत रूपये 1,00,000/- (एक लाख) नियत की जाती है। धनराशि की व्यवस्था सांसद निधि, विधायक निधि, जिला एवं जनपद पंचायतों को दिये जाने वाले मूलभूत अनुदान, पंचायत कर एवं शुल्क से आय तथा जन सहयोग आदि से की जा सकती है।


सहायक यंत्री

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल


6. शांतिधाम बनाने के लिए तकनीकी सहायता हेतु अनुदेश विभागीय वेबसाइट prd.mp.gov.in पर दिए गए हैं। यह अपेक्षा की जाती है कि संबंधित ग्राम पंचायत इन निर्देशों की प्रति निकालकर उनका उपयोग करें।
7. प्रत्येक ग्राम में एक शांतिधाम विकसित करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्नानुसार समयसीमा निर्धारित की जाती है:-
- (अ) जिन ग्रामों में शांतिधाम नहीं बनाए गए हैं उनमें स्थल चयन एवं तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की समयसीमा- 31 दिसंबर 2016.
- (ब) निर्माण कार्य प्रारंभ करने की समयसीमा- 26 जनवरी 2017.
- (स) निर्माण कार्य पूर्ण करने की समयसीमा- 31 मई 2017.
8. उपरोक्त समयसीमा के भीतर लक्ष्य की कार्रवाई की समीक्षा साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस में की जाएगी।
9. पूर्व में निर्मित बिना शेड (छाया) के शांतिधाम के उन्नयन के संबंध में पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे।
- संलग्न-उक्तानुसार।


09.12.16.
(राधेश्याम जुलानिया)
विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश

पू.क्रं. 12446/एनआरईजीएस-एमपी/एनआर-3/16 भोपाल, दिनांक 09/12/2016

प्रतिलिपि-

1. संभागायुक्त समस्त।
2. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. ओ.एस.डी., मा. मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
4. संयुक्त आयुक्त, समन्वय, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
5. अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल, मध्यप्रदेश।
6. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मध्यप्रदेश।
8. समस्त ग्राम पंचायत को वेबसाइट पर प्रकाशन से।


विकास आयुक्त
मध्यप्रदेश





मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधीन पंजीकृत संस्था)

नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 59, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्र. / 7577 / MGNREGS-MP/एनआर-3 / तक. / 2017

भोपाल, दिनांक 22/10/2017

प्रति,

कलेक्टर

जिला - समस्त

मध्यप्रदेश

विषय

आंगनवाड़ी, ग्राम पंचायत भवन एवं शांतिधाम के निर्माण में चरणवार भुगतान हेतु मजदूरी-सामग्री मद की राशि का निर्धारण।

विषयांतर्गत विकास आयुक्त कार्यालय के पत्र क्र. 6967/22/वि-10/ग्रायांसे/2017 भोपाल दिनांक 01.06.2017 से आंगनवाड़ी, ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, शांतिधाम निर्माण के दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। नरेगा मद की राशि के भुगतान हेतु मजदूरी के मानव दिवस एवं सामग्री मद की राशि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

राशि रू. लाख में

भवन का नाम	मानक लागत	नरेगा अंश	सामग्री	मजदूरी मानव दिवस
आंगनवाड़ी भवन	7.80	3.12	1.248	1088
ग्राम पंचायत भवन	14.48	5.792	2.317	2020
शांतिधाम टाईप-1	1.80	1.80	1.349	262
शांतिधाम टाईप-2	2.45	2.45	1.837	356


सहायक यंत्री

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
भोपाल

(जी.व्ही. रश्मि)

आयुक्त

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
भोपाल